कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,अम्बिकापुर
जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

अम्बिकापुर, दिनांक 07.3.24

क्रमांक/ 2588 /मान्यता–अनुमति/2024 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक **06.07.2023** के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण उपरांत विद्यालय का नाम– **कार्मेल स्कूल अम्बिकापुर** विकास खंड–**अम्बिकापुर** को दिनांक **01.07.2024 से 30.06.2026** तक के लिए जो कक्षा **नर्सरी से आठवीं** तक प्रभावशील रहेगा। अस्थाई (सशर्त) मान्यता प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अधीन हैः–

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा 8 के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर 1) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर 2) विद्यालय के लिए बंधनकारी होगा।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा पहली की दर्ज संख्य के 25% तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खंड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या उसके माता–पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि–

   (i) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रांरभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।

   (ii) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।

   (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।

   (vi) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियत 23 में यथानुसार प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

   (v) कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।

   (vi) शिक्षक काननू के खंड 23 (1)में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताओं सहित नियुक्ति किये जाते हैं। 05 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेंगे।

   (vii) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्ते कानून के खण्ड 23 (3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप–नियम (1) के तहत् राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगी।

   (viii) शिक्षक कानून के खण्ड 24 (1) के तहत् विशिष्टीकृत कर्त्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।

   (ix) विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।

8. विद्यालय कानून के खंड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
9. विद्यालय कानून के खंड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाए रखेंगे। अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधाएं निम्नानुसार है– विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल/ कुल निर्माण का क्षेत्रफल/खेल के मैदान का क्षेत्रफल/अध्यापन कक्षाओं की संख्या/ प्रधान पाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष/ बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय/पेयजल सुविधा/ मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु किचन/ बाधारहित पहुंच/ शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकूद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय के बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा।
11. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यावसायिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जावेगा।
12. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के तहत् पंजीकृत सोसायटी द्वारा या 1860(1860 का 21)किसी कानून के तहत् समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
13. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
14. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता यूडाईज कोड़ नंबर आबंटित है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे अंकित किया जाए।
16. विद्यालय समय–समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदान करता है और मान्यता की शर्तो की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
17. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण,आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाए।
18. अन्य शर्ते एनेक्सर 3 के अनुसार संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर,सरगुजा(छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ 2589 /मान्यता–अनुमति/2024 अम्बिकापुर, दिनांक 07.03.24
प्रतिलिपि,

1. विकास खंड शिक्षा अधिकारी– **अम्बिकापुर** को सूचनार्थ।
2. प्रबंधक/अध्यक्ष **कार्मेल स्कूल अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.** को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर,सरगुजा(छ.ग.)

Manager
Carmel School, Namnakala
Ambikapur,Dt.-Surguja C.G.497001

Principal
Carmel School
Namnakala, Ambikapur
- Surguja (C.G.) 497001